# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर

**प्रार्थी**
मोहनलाल पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवंशी
निवासी कुचामनसिटी

**अप्रार्थीगण**
मगनी देवी पत्नी रामदेव वगैरह जाति बावरी
निवासी कुचामनसिटी

**प्रार्थना –पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 R.T.Act**

राजस्व प्रार्थना–पत्र **मु.नं. /2018**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.01.18 | यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 **R.T.Act** के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना –पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 25.02.2018 तक इस आशय की जारी की जाती है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 434 रकबा 1.34 है0 में अप्रार्थी सं0 1 व 2 प्रार्थी की भूमि में जबरन कब्जा, अतिक्रमण, बेचान, हस्तान्तरण, रहन, भू परिवर्तन रूपान्तरण नहीं करे न ही किसी प्रकार का कच्चा, पक्का निर्माण करें व न ही ऐसा अपने ऐजन्टों प्रतिनिधियों से करावें। अप्रार्थी सं0 3 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नहीं करें व अप्रार्थी सं0 4 व 5 मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 6 खसरा नम्बर 434 रकबा 1.34 है0 में से किसी भी प्रकार का पट्टा जारी नहीं करें। अप्रार्थीगणों की सुनवाई हेतु जरिये नोटीस तलब हो। पत्रावली दिनॉक 26.02.2018 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर ) | |
| 26/2/18 | वकील प्रार्थी उप. [illegible] मोहन [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर ) | |

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official